

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 द्वारा प्रमाणित संस्था)

द्वारा

राजेन्द्र योजना स्थित डा0 राम मनोहर

लोहिया पार्क

में

ओपन जिम संचालन हेतु नियम एवं शर्तों की विवरणिका।



एक सुन्दर शहर.....हमारा संकल्प

मूल्य (जी0एस0टी0 सहित)– ` 1180/—



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2000 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

कार्य का नाम—राजेन्द्र नगर योजना स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क में स्थापित ओपन जिम का दो वर्ष की अवधि के लिए संचालन का कार्य।

ओपन जिम संचालन हेतु नीलामी की नियम व शर्तें

1. ओपन जिम संचालन की अवधि 2 वर्ष होगी।
2. प्रस्तावक को रू0 50,000.00 (पचास हजार) मात्र धरोहर राशि डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्ताव के साथ जमा करने होंगे।
3. प्रस्तावक को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र व फोटो पहचान पत्र की प्रति जमा करानी होगी।
4. यह कि इस नीलामी पर लोहिया पार्क में ओपन जिम संचालन का वार्षिक नीलामी अंशदान प्रत्येक वर्ष नीलामी वर्ष आरम्भ होने से पूर्व जमा करना होगा। यह विलेख दिनांकसे दिनांक तक दो वर्ष की अवधि हेतु अनुमन्य होगा, नीलामी विलेख शुल्क वर्ष आरम्भ होने पर 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ—साथ समय से जमा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा तथा ऐसा न करने पर नियमानुसार नीलामी विलेख पर पुनर्विचार किया जायेगा।
5. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति (ओपन जिम स्थल) का कब्जा नीलामी विलेख के निष्पादन के बाद प्रदान किया जायेगा। नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा और नीलामी ग्रहिता को निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि स्थल पर कोई परिवर्तन किये जाने का प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया जाता है तो नीलामी ग्रहिता को उक्त निर्णय मान्य होगा।
6. यह कि नीलामी अवधि समाप्त होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति से ही नीलामी विलेख का नवीनीकरण हो सकेगा। नीलामी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही लिखित अनुरोध पर उपाध्यक्ष द्वारा विचारोपरान्त नीलामी नवीनीकरण के विषय में निर्णय लिया जायेगा। नीलामी नवीनीकरण की अनुमति न प्रदान किये जाने पर नीलामी ग्रहिता को स्थल का कब्जा प्राधिकरण को वापस सौंपना होगा।
7. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति व उसके आस—पास की सफाई तथा ओपन जिम का रख—रखाव एवं सफाई का पूर्ण दायित्व नीलामी ग्रहिता का होगा और नीलामी ग्रहिता अपने खर्च पर आवश्यक व्यवस्था स्वयं करेगा।
8. यह कि नीलामी पर दिये गये स्थल को अतिक्रमण मुक्त रखने की समस्त जिम्मेदारी नीलामी ग्रहिता की होगी व नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा और स्थल पर ऐसी गतिविधि संचालित नहीं करेगा जिससे नीलामी ग्रहिता के स्वामी होना प्रदर्शित होता हो।
9. यह कि नीलामीकर्ता को नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा नीलामीकर्ता द्वारा दिये गये सुझाव नीलामी ग्रहिता को मान्य होंगे।
10. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति एवं उसके अनुरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क, कर या अन्य देयता के अदा करने का दायित्व नीलामी ग्रहिता का होगा, नीलामीकर्ता उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. लोहिया पार्क में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है।

12. प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त उच्चतम प्रस्ताव के आधार पर तय धनराशि वार्षिक किस्तों में अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।
13. उच्चतम प्रस्तावक को 25 प्रतिशत धनराशि तत्समय जमा करनी होगी। प्रथम उच्चतम प्रस्तावक द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक की बोली की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक द्वारा भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसकी भी जमानत जब्त करते हुए ओपन जिम संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी का चयन किया जायेगा।
14. आयकर प्राविधानों के अनुसार ओपन जिम संचालन हेतु प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव की धनराशि पर निर्धारित टी0डी0एस0 के रूप में अतिरिक्त धनराशि जमा करनी होगी। टी0डी0एस0 की देय धनराशि ओपन जिम संचालन स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
15. विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन एवं किसी भी समय नीलामी को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।
16. नीलामी के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।
18. यदि प्राधिकरण द्वारा ओपन जिम संचालन समाप्त की जाती है तो संचालनकर्ता को शेष अवधि के लिए अनुपातिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।
19. प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संचालनकर्ता को अपने खर्च पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरो पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।
20. एजेन्सी अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नहीं करेगी, ऐसा करने की दशा में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
21. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी भ्रमणकारी के साथ दुर्यवहार नहीं करेंगे।
22. संचालनकर्ता को नियत दरों को अंकित करते हुए कूपनों/टोकनों की व्यवस्था करनी होगी। तदानुसार ही संचालनकर्ता धनराशि वसूल कर सकेगा। यदि संचालनकर्ता द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया तो नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और कोई भी आनुपातिक धनराशि आदि वापस नहीं की जायेगी।
23. नीलामी ग्रहिता स्थल पर किसी प्रकार का खोखा/ढेला अथवा हॉकर्स की स्थापना नहीं करेगा। विशेष परिस्थिति में नियम शर्तों के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जायेगी।
24. प्राधिकरण द्वारा निर्मित/स्थापित गेट/पोस्ट में यदि कोई टूट-फूट या कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।
25. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के विभागीय/स्टाफ के लिए ओपन जिम संचालन की व्यवस्था में 50 प्रतिशत की छूट रखनी होगी।
26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं स्थानीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा।
27. निर्धारित दर ओपन जिम संचालन हेतु रू0 10.00 प्रति व्यक्ति प्रति घण्टा प्रति दिन और रू0 200.00 प्रति माह शुल्क रखना होगा। निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूले जाने की दशा में बिना किसी अन्य सूचना के नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा।
28. दरों के सम्बन्ध में स्थल पर सूचना पट एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगवाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।

29. ओपन जिम संचालन पर कार्यरत कर्मचारियों को ड्यूटी समय में निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
30. स्थल पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं जैसे बैरियर, उद्घोषणा हेतु माईक, टिकट केबिन, सूचना पट आदि के रख-रखाव का दायित्व कार्यरत एजेन्सी का होगा एवं उसमें होने वाली किसी क्षति की प्रतिपूर्ति एजेन्सी को स्वयं करनी होगी।
31. ओपन जिम संचालन व्यवस्था में लगाये गये सभी कर्मी 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आयु के निरोगी/स्वस्थ हो तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Labour Act), ई0एस0आई0, पी0एफ0 आदि का उत्तरदायित्व संचालन कर्ता का होगा। कोच (यदि आवश्यक हो) के लिए आयुसीमा शिथलनीय होगी।
32. ओपन जिम संचालन व्यवस्था में लगाये गये कर्मी पूर्व में कभी भी किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने चाहिए, तथा संचालक एजेन्सी द्वारा कर्मियों के चरित्र प्रमाण पत्र का शपथ पत्र प्राधिकरण में जमा कराने होंगे।
33. नीलामीकर्ता द्वारा आगामी प्रत्येक वर्ष वार्षिक शुल्क में 10 प्रतिशत/उपभोगता मूल्य सूचकांक (जो भी अधिक हो) के आधार पर वार्षिक वृद्धि के साथ जमा करना होगा।
34. ओपन जिम की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा की जाएगी, तथा ओपन जिम की सफाई एवं मरम्मत संचालनकर्ता एजेन्सी को स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी
35. जिम संचालन का समय (यथा सुविधाजनक) सम्पूर्ण दिवस रहेगा, तथा शाम 4:00 बजे से 5:00 तक का समय महिलाओं के लिए निःशुल्क रहेगा।
36. ओपन जिम में 12 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश वर्जित होगा।
37. ओपन जिम संचालन एजेन्सी को लोहिया पार्क के नियम एवं विनियमों के अनुरूप कार्य करना होगा।
38. जिम के संचालन के लिए अनुभवी प्रशिक्षक रखना होगा, तथा प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखनी होगी।
39. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये नीलामी निरस्त कर दिया जायेगा तथा ओपन जिम संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।

प्रभारी उद्यान
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

मैंने उपरोक्त 1 से 39 तक सभी शर्तों को पढ़ लिया है और सुन लिया है व समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर `..... शब्दों में प्रति वर्ष की दर से प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर बोलीदाता